

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-194/2025 दिनांक 13.07.2025)
***दिनांक-13.07.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

थाना सेवरही पुलिस द्वारा 08 पेटी अवैध देशी शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री निवेश कटियार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री राकेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में अवैध शराब निष्कर्षण/बिक्री/परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सेवरही पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 13.07.2025 की रात्रि में अभियुक्त रितेश गोड़ पुत्र जितेन्द्र प्रसाद गोड़ साकिन राजपुर बगहाँ थाना सेवरही जनपद कुशीनगर 08 पेटी बन्टी बबली अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 217/2025 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछ-ताछ का विवरण-

पूछ-ताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह उ0प्र0 के आस-पास बार्डर क्षेत्रों से शराब भठ्टियों से शराब खरीदकर बिहार राज्य में ले जाकर ऊचे दामों पर बेच देता है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 217/2025 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

रितेश गोड़ पुत्र जितेन्द्र प्रसाद गोड़ साकिन राजपुर बगहाँ थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

08 पेटी मे 360 पाऊच प्रत्येक 200 ML कुल 72 लीटर बन्टी बबली अवैध देशी शराब



Edit with WPS Office

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 2-उ०नि० आकाश सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 3-का० संजय यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 4-का० उधम सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा 15 पेटी 8PM अवैध अंग्रेजी शराब मय 04 अदद मोटर साइकिल वाहन (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 03 लाख रुपये) बरामद-

जनपद कुशीनगर में अवैध शराब बिक्री/ निष्कर्षण/परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.07.2025 को थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा थाना बरवापट्टी क्षेत्र से 04 अदद मोटरसाइकिल न० क्रमशः 1. बाजाज प्लटीना न० UP57BU8083 2. हिरो स्पलेण्डर प्लस न० UP57AR3275 3. हिरो स्पलेण्डर प्लस न० UP57R7793 4. बाजाज प्लटीना न० UP57V7745) से ले जायी जा रही कुल 15 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब 8PM कुल 720 पाउच प्रत्येक 180 ml, की बरामदगी की गयी। पुलिस को देखकर अभियुक्तगण मौके से फरार हो गये। वाहनों के नम्बर के आधार पर अभियुक्तों को चन्हित कर लिया गया गया है, शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी। बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 048/2025 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग -

048/2025 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

👉 कुल 15 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जिसमें 8 PM अंग्रेजी शराब कुल 720 पाउच प्रत्येक 180 ml, (कुल मात्रा 129.6 लीटर (शराब की कुल कीमत लगभग 01 लाख रुपये)

👉 चार अदद मोटरसाइकिल क्रमशः 1. बाजाज प्लटीना नं० UP57BU8083 2. हिरो स्पलेण्डर प्लस नं० UP57AR3275 3. हिरो स्पलेण्डर प्लस नं० UP57R7793 4. बाजाज प्लटीना नं० UP57V7745 (वाहनों की कुल कीमत लगभग 02 लाख रुपये)

गिरफ्तार करने वाली टीम -



Edit with WPS Office

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र राम प्रजापति थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
- 2-उ०नि० श्री मोहन यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
- 3-उ०नि० श्री घनश्याम गौतम थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
- 4-हे०का० प्रभाकर यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
- 5-का० राजू यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
- 6-का० गिरजेश यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
- 7-का० धीरज पाल थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

थाना सेवरही पुलिस द्वारा अपहरण के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.07.2025 को थाना सेवरही पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 208/2025 धारा 137 (2), 87 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अच्छेलाल गुप्ता पुत्र श्री उपेन्द्र गुप्ता निवासी पकड़ियार पश्चिमपट्टी (कान्ही टोला) थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 208/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

अच्छेलाल गुप्ता पुत्र श्री उपेन्द्र गुप्ता निवासी पकड़ियार पश्चिमपट्टी (कान्ही टोला) थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2. चौकी प्रभारी कस्बा सेवरही उ०नि० श्री अनिल शर्मा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
3. का० किशन सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
4. का० विशाल सरोज थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 94 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।



कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-43 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-44, व्यक्ति-134
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(02)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-96)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

